

इलिनॉय के व्यापक 2020 जनगणना प्रयास को सुदृढ़ करने वाले कार्यकारी आदेश 10 (2019) में संशोधन

जबकि, कार्यकारी आदेश 10 (2019) ने इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़) के भीतर जनगणना कार्यालय (“जनगणना कार्यालय”) की और जनगणना सलाहकार पैनल (“पैनल”) की स्थापना की थी और कार्यकारी आदेश 1 (2020) ने कार्यकारी आदेश 10 (2019) को संशोधित किया था; और,

जबकि, जनगणना कार्यालय और पैनल की स्थापना इलिनॉय राज्य के लिए एक पूर्ण एवं शुद्ध 2020 जनगणना संख्या सुनिश्चित करने में सहायता देने के लिए की गई थी; और,

जबकि, कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक-महामारी के कारण, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के कर्मचारियों और जनता के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रयास में सभी क्षेत्र कार्य मार्च 2020 से लेकर कम-से-कम 1 जून, 2020 तक स्थगित कर दिए थे; और,

जबकि, कोविड-19 (COVID-19) और जनगणना कार्यों में विलंब के कारण, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने 2020 की जनगणना के लिए क्षेत्र आंकड़ा संग्रहण एवं स्वयं उत्तर देने की समयसीमा को 31 जुलाई, 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2020 कर दिया है ताकि एक पूर्ण एवं शुद्ध जनगणना संख्या सुनिश्चित करने में सहायता मिल सके;

अतः, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), इलिनॉय राज्य के संविधान के अनुच्छेद V द्वारा मुझे दिए गए कार्यकारी प्राधिकार का उपयोग करते हुए, कार्यकारी आदेश 10 (2019) को आगे एतद्वारा निम्नवत संशोधित करता हूँ:

I. जनगणना सलाहकार पैनल

कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक-महामारी के कारण 2020 की अमेरिकी जनगणना ब्यूरो की समयसीमाएं बढ़ा दिए जाने के आलोक में, जनगणना सलाहकार पैनल 2020 अमेरिकी जनगणना के कार्य जारी रहने के दौरान इलिनॉय में एक पूर्ण और शुद्ध जनगणना संख्या सुनिश्चित करने के लिए इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़) के भीतर जनगणना कार्यालय के सलाहकार मंडल के रूप में कार्य करना जारी रखेगा। उक्त पैनल दिसंबर 2020 तक सलाहकार मंडल के रूप में कार्य करता रहेगा और जैसे वह आवश्यक समझे वैसे बैठकें करता रहेगा, और 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त एवं भंग हो जाएगा।

II. व्यावृत्ति खंड (सेविंग्स क्लॉज़)

इस कार्यकारी आदेश में मौजूद किसी भी बात का अर्थ किसी भी संघीय या राज्य कानून या विनियम के उल्लंघन के रूप में नहीं निकाला जाएगा। इस कार्यकारी आदेश में मौजूद कोई भी बात किसी भी राज्य अभिकरण की मौजूदा सांविधिक शक्तियों को प्रभावित या परिवर्तित नहीं करेगी और उसका अर्थ किसी भी राज्य अभिकरण के पुनः समनुदेशन या पुनर्गठन के रूप में नहीं निकाला जाएगा।

III. पूर्ववर्ती कार्यकारी आदेश

यह कार्यकारी आदेश किसी भी अन्य पूर्व कार्यकारी आदेश के किसी भी विपरीत प्रावधान को उलट देता है।

IV. विच्छेदनीयता खण्ड

यदि इस कार्यकारी आदेश का कोई भी अंश किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा अमान्य पाया जाता है तो शेष उपबंध पूर्णतः लागू एवं प्रभावी रहेंगे। इस कार्यकारी आदेश के उपबंध विच्छेदनीय हैं।

V. प्रभावी होने की तारीख

यह कार्यकारी आदेश राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) के पास इसे दायर किए जाने पर तत्काल प्रभावी हो जाएगा।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल द्वारा जारी: 9 जुलाई, 2020

राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) के पास दायर: 9 जुलाई, 2020